गोरखनाथ भा0प्र0से0, आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया द्वारा दिनांक–16.11.2022 को कटिहार जिला अन्तर्गत विकास एवं विभिन्न कार्य विभागों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति : पंजी के अनुसार।

बैठक में सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया का स्वागत करते हुए अनुमति प्राप्त कर समीक्षा बैठक प्रारंभ की गई। बैठक में निम्न पदाधिकारी उपस्थित हुए।

उपस्थिति :– पंजी में संधारित।

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण :–</u>

- **प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण :** वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक की प्रगति की समीक्षा प्रारंभ की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि फलका प्रखण्ड का प्रगति अन्य प्रखण्डों की तुलना में काफी असंतोषप्रद पाया गया। प्रखण्डों की रैंकिंग में खराब प्रगति वाले तीन प्रखण्ड क्रमशः फलका (85.16%), डंडखोरा (86.12%) एवं प्राणपुर (87.21%) के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से पृच्छा किये जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि भूमिहीन लाभूकों की संख्या अधिक होने के कारण अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि आवश्यक प्रगति हेतु कार्य योजना तैयार कर एक महीने में अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करेंगे। साथ हीं निर्धारित समयावधि में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं होने की स्थिति में कारण पृच्छा करते हुए संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु बैठक में उपस्थित उप विकास आयुक्त, कटिहार को निदेशित किया गया।

  साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि पंचायत स्तर पर कार्यरत आवास सहायको के कार्यों का अनुश्रवण प्रतिदिन प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा किया जाय तथा कार्य में अभिरूचि नहीं लेने वाले सहायकों को चिन्हित कर अपने अनुशंसा सहित कार्रवाई हेतु जिला को प्रतिवेदित करेंगें।

  अनुपालन : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटिहार एवं उप विकास आयुक्त, कटिहार।

- **आवास प्लस** :–आवास प्लस की समीक्षा के क्रम में खराब प्रदर्शन करने वाले तीन प्रखण्ड क्रमशः फलका (67.63%), कोढ़ा (72.22%) एवं कुर्सेला (72.73%) को एक महीने के अन्दर अपेक्षित प्रगति लाने एवं किसी भी प्रखण्ड का प्रगति का प्रतिशत जिले की प्रगति प्रतिशत से कम नहीं रहने संबंधित निदेश बैठक में उपस्थिति सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। साथ हीं निर्धारित समयावधि में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं होने की स्थिति में कारण पृच्छा करते हुए संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु बैठक में उपस्थित उप विकास आयुक्त, कटिहार को निदेशित किया गया।

  अनुपालन : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटिहार एवं उप विकास आयुक्त, कटिहार।

- **नीलाम पत्र** :–नीलाम पत्र वाद की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला अन्तर्गत अब तक कुल चिन्हित लाभुक 5681 के विरूद्ध 2299 लाभुकों को संबंधित अंचल कार्यालयों द्वारा नीलाम पत्र वाद दायर किया गया है। Sec-7 में नोटिस निर्गत लाभुकों की संख्या 2288 के विरूद्ध 14 लाभुकों पर अंतिम आदेश पारित करते हुए 14 लाभुकों पर बॉडी वारंट निर्गत किया गया है। नीलाम पत्र वाद दायर होने के पश्चात कुल 224 लाभुकों द्वारा आवास निर्माण किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने अंचल के अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष से समन्वय स्थापित कर नोटिस तामिला पर लगातार अनुश्रवण करेंगे एवं वैसे हठी लाभुक जिन्होंने नोटिस निर्गत होने के उपरान्त भी आवास निर्माण प्रारंभ नहीं किया है, उनका वारंट निर्गत करेंगे तथा प्रत्येक प्रखण्ड प्रतिमाह कम से कम 10 हठी लाभुकों पर वारंट निर्गत करवाना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन : सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/थानाध्यक्ष, कटिहार।

- **मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना** : समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (वित्तीय वर्ष 2018–19) अन्तर्गत कुल अपूर्ण आवासों की संख्या 41 है। जिसमें सबसे अधिक 31 अपूर्ण आवास बलरामपुर प्रखण्ड अन्तर्गत है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बलरामपुर, मनिहारी, बारसोई, कदवा एवं फलका को निदेशित किया गया कि एक माह के अन्दर व्यक्तिगत रूचि लेते हुए सभी अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन : सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटिहार ।

- **इन्दिरा आवास योजना** :– समीक्षा के क्रम में इन्दिरा आवास योजना की प्रगति में फलका, बरारी एवं डंडखोरा प्रखण्ड का प्रगति संतोषप्रद नहीं पायी गयी। जिस पर खेद व्यक्त करते हुए निदेशित किया गया कि आवश्यक प्रगति हेतु कार्य योजना तैयार कर एक महीने में अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करेंगे। साथ हीं निर्धारित समयावधि में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं होने की स्थिति में कारण पृच्छा करते हुए संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु बैठक में उपस्थित उप विकास आयुक्त, कटिहार को निदेशित किया गया।

बैठक में उपस्थित प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारियों से योजना की प्रगति के संबंध में पृच्छा किये जाने पर उनके द्वारा कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया। सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि अपने–अपने आवंटित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ नियमित अंतराल पर समीक्षा बैठक एवं आवश्यकतानुसार स्थलीय जाँच कर योजना की प्रगति हेतु आवश्यक कार्य–योजना तैयार कर, उसका नियमित अनुश्रवण करते हुए प्राप्त फलाफल से जिला पदाधिकारी, कटिहार एवं उप विकास आयुक्त, कटिहार को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन : सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटिहार ।

लोहिया स्वच्छ भारत अभियान :–

- **ठोस एवं तरल अपषिष्ट प्रबंधन (SLWM)** : समीक्षा के क्रम में सबसे खराब प्रगति वाले तीन प्रखण्डों यथा समेली, डंडखोरा एवं प्राणपुर के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से उक्त के संबंध में पृच्छा की गयी। उनके द्वारा बताया गया कि सामग्री का क्रय जैम पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। निविदा की तिथि पूर्ण हो चुकी है, इस सप्ताह के अंत तक कार्यादेश निर्गत कर दिया जायेगा। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि किसी भी प्रकार का क्रय जैम पोर्टल के माध्यम से हीं किया जाय। किसी भी परिस्थिति में स्थानीय बाजार/आपूर्तिकर्त्ता से सामग्री का क्रय नहीं किया जाय।

अनुपालन : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटिहार।

- **Citizen Application Status-** स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के पोर्टल पर व्यक्तिगत शौचालय के लिए लाभुक के द्वारा स्वयं आवेदन इस पोर्टल के माध्यम से किया जाना है, जिसके अन्तर्गत प्राप्त आवेदन को सात दिनों के अन्दर आवेदन का प्रखण्ड स्तर से जाँचोपरान्त निष्पादन किया जाना है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि किसी भी परिस्थिति में सात से अधिक दिनों तक आवेदन लम्बित रहने के परिस्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

अनुपालन : सभी प्रखण्डों प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटिहार ।

- **GeM Id Creation-** स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय फेज अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु 75 ग्राम पंचायतों का मेल आई0डी0 विभाग से प्राप्त हो चुका है, जिसका GeM पर Id Creation किया जाना है। इस हेतु ग्राम पंचायत के मुखिया का आधार सत्यापित करने के उपरान्त Id Create होना है, ताकि ठोस एवं तरल अपशिष्ट के

क्रियान्वयन हेतु सामग्री क्रय के लिए निविदा किया जाय। इस संबंध में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कटिहार जिला को निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर GeM Portal पर ID Create करते हुए निविदा की प्रक्रिया करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन : सभी प्रखण्डों प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटिहार ।

- **व्यक्तिगत शौचालय** – स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के खुले में शौच से मुक्ति हेतु स्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से छूटे हुए परिवार को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण करने हेतु प्रेरित किया जाना है, ताकि कटिहार जिला को शतप्रतिशत शौचालय से आच्छादित किया जा सके। उक्त के आलोक में कटिहार जिलान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में छूटे हुए परिवारों का सर्वे कराया गया जिसमें कुल 84859 लाभुक के घर में पाया गया कि व्यक्तिगत शौचालय का स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पोर्टल पर आच्छादति नहीं है, जिसमें से 54655 लाभुक नया व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण किये है, जिसका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पोर्टल पर इन्ट्री किया जाना है। तद्आलोक में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पोर्टल पर 6407 लाभुक का इन्ट्री किया गया है, जिसका Geo Tag करने के उपरान्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रखण्ड के लॉगिन से किया जाना है।

  इस संबंध में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कटिहार जिला को निदेशित किया गया कि 15 दिसम्बर, 2022 तक बचे हुए शेष लाभुक का इन्ट्री स्वच्छ भारत मिशन के पोर्टल पर करते हुए भुगतान की कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही नये आवास निर्माण के साथ व्यक्तिगत शौचलाय का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना भी सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटिहार।

<u>महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) :</u>

- **अमृत सरोवर** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कटिहार जिला अन्तर्गत कुल 105 चिन्हित अमृत सरोवर के विरूद्ध 58 पर कार्य प्रारंभ करते हुए 18 सरोवर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस संबंध में निदेशित किया गया कि वैसे अमृत सरोवर जिनका कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, उसे ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ हीं चर्चा के क्रम में जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा निदेशित किया गया कि सभी अमृत सरोवर में आवश्यकतानुसार छठ घाट का निर्माण कराया जाय, ताकि छठ पर्व के समय स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सके।

अनुपालन : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) एवं सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, कटिहार ।

- **मानव दिवस सृजन** :– मानव दिवस सृजन के समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड स्तरीय रैंकिंग में बलरामपुर (80.93%), डंडखोरा (81.35%) एवं कटिहार (83.14%) की प्रगति सबसे खराब पायी गयी। जिस पर खेद व्यक्त करते हुए न्यूनतम उपलब्धि वाले प्रखण्ड बलरामपुर के कार्यक्रम पदाधिकारी से उक्त संबंध में पृच्छा की गयी। उक्त के आलोक कार्यक्रम पदाधिकारी, बलरामपुर द्वारा बताया गया कि जल–जमाव के कारण अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी है, भविष्य में इसमें प्रगति परिलक्षित होगी। इस पर अन्य जल–जमाव वाले प्रखण्डों यथा अमदाबाद, मनिहारी एंव कुर्सेला प्रखण्ड का उदाहरण देते हुए कार्य को गंभीरता से करने एवं वांछित प्रगति नही होने पर कार्रवाई करने का निदेश उप विकास आयुक्त, कटिहार को दिया गया। न्यूनतम प्रगति वाले तीनों कार्यक्रम पदाधिकारी को एक मौका देते हुए एक माह के अन्दर अपेक्षित प्रगति लाने हेतु निदेशित किया गया। साथ हीं निर्धारित समयावधि में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं होने की स्थिति में कारण पृच्छा करते हुए संबंधितों के विरूद्ध

नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए किये गये कार्य के अनुसार हीं मानदेय भुगतान करने हेतु उप विकास आयुक्त, कटिहार को निदेशित किया गया।

जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, बलरामपुर को निदेशित किया गया कि बलरामपुर प्रखण्ड अन्तर्गत सभी पूर्ण एवं अपूर्ण पशु शेड का स्वयं से स्थलीय जांच कर स्पष्ट भौतिक एवं वित्तीय जांच प्रतिवेदन (स्वयं का फोटोग्राफ सहित) दिनांक–01.12.2022 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन : कार्यक्रम पदाधिकारी, बलरामपुर, डंडखोरा एवं कटिहार/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा)कटिहार

- Timely Payment : समीक्षा के क्रम में पाया गया कि समय से भुगतान में डंडखोरा प्रखण्ड का स्थान सबसे नीचे है। उक्त के संबंध में पृच्छा किये जाने पर कार्यक्रम पदाधिकारी, डंडखोरा द्वारा बताया गया कि लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने के कारण भुगतान में विलंब हुआ है। न्यूनतम प्रगति वाले तीनों कार्यक्रम पदाधिकारी को एक मौका देते हुए एक माह के अन्दर अपेक्षित प्रगति लाने हेतु निदेशित किया गया। साथ हीं निर्धारित समयावधि में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं होने की स्थिति में कारण पृच्छा करते हुए संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए किये गये कार्य के अनुसार हीं मानदेय भुगतान करने हेतु उप विकास आयुक्त, कटिहार को निदेशित किया गया।
- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, मनरेगा द्वारा क्रमशः 140 एवं 168 योजनाओं की जाँच की गयी। उक्त योजना से संबंधित पृच्छा की गयी कि कितने योजनाओं में क्या–क्या गड़बड़ी मिली है और कितनी योजना नियमानुसार पूर्ण है। इस पर पदाधिकारी द्वारा किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया। इस संबंध में उक्त दोनो पदाधिकारी को विभागीय नियमानुसार योजनाओं की जॉच एवं अनियमितता पाये जाने पर दोषी के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।
- **आधार सिडिंग** :–आधार सिडिंग स्टेटस में कोढ़ा प्रखण्ड का स्टेटस सबसे खराब पाया गया। इनका उपलब्धि प्रतिशत मात्र 45 प्रतिशत है। यह स्थिति काफी दयनीय है। निदेशित किया गया कि एक माह के अन्दर प्रदर्शन में आवश्यक सुधार नही होने पर नियमानुसार कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जायेगा।
- जॉबकार्ड सत्यापन :– जॉबकार्ड सत्यापन में मनसाही, कोढ़ा एवं समेली प्रखण्ड का प्रदर्शन सबसे खराब पाया गया । संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारियों को एक माह के अन्दर जॉबकार्ड सत्यापन में आवश्यक प्रगति लाने हेतु निदेशित किया गया।

अनुपालन : संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, मनरेगा, कटिहार।

<u>पंचायती राज :</u>

सभी प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारियों को नली–गली योजनाओं का सर्वेक्षण करने के लिए निदेशित किया गया। यह भी अवगत कराया गया कि क्षेत्र भ्रमण के क्रम में गली का निर्माण तो देखने को मिलता है लेकिन गली के साथ नाली बहुत हीं कम मात्रा में बनाया गया है, जिससे इस योजना का उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है। सभी प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी अपने क्षेत्र में इस बात का प्रतिवेदन तैयार करेंगे कि कितने स्थान पर गली बन गया है लेकिन नाली नहीं बना है और क्यों नहीं बना है ?

पंचायत सरकार भवन के निर्माण के संबंध में अपर समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा बताया गया कि जिस पंचायत में पंचायत सरकार भवन प्रस्तावित है, वहां जमीन की समस्या को दूर

कर लिया गया है और जल्द हीं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त जमीन पंचायत को हस्तान्तरित कर भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।

अनुपालन : सभी प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार।

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना :

जिला योजना पदाधिकारी, कटिहार द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत श्री मनोहर प्रसाद सिंह, माननीय विधायक, मनिहारी के अनशंसित योजनाओं में 02 योजना का कार्यादेश निर्गत, 01 योजना छत स्तर तक कार्य, 01 योजना ईट सोलिंग कार्य पूर्ण, 01 योजना के स्थल पर पानी लगा हुआ है एवं एक योजना एकरारनामा की प्रक्रिया में है। अन्य सभी माननीय विधायकों का सभी योजनाऐं पूर्ण है। अपूर्ण योजना एवं एकरारनामा के प्रक्रिया में प्रक्रियाधीन योजना को जल्द पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

सांसद क्षेत्रीय विकास योजना : श्री दुलालचन्द गोस्वामी, माननीय सांसद, कटिहार

जिला योजना पदाधिकारी, कटिहार द्वारा बताया गया कि LAEO-1 कटिहार में 07 योजना निविदा में, 04 योजना में कार्यादेश निर्गत एवं 03 योजना में कार्य प्रगति पर है। LAEO-2 कटिहार में 03 योजना एकरारनामा की प्रक्रिया में एवं एक योजना निविदा की प्रक्रिया में है। अन्य योजना के अन्तर्गत एक योजना पुस्तक क्रय से संबंधित है।

सांसद क्षेत्रीय विकास योजना : डॉ0 अहमद अशफाक करीम, माननीय सांसद, राज्य सभा।

जिला योजना पदाधिकारी, कटिहार द्वारा बताया गया कि LAEO-1 कटिहार में 02 योजना में कार्यादेश निर्गत है। LAEO-2 बारसोई में जल–जमाव के कारण कार्यस्थल कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। अन्य योजना के अन्तर्गत 20 योजना जिले में क्रियान्वित है।

अनुपालन : जिला योजना पदाधिकारी, कटिहार।

भवन निर्माण विभाग :

बैठक में कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, कटिहार बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाये गये। कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, कटिहार से कारण पृच्छा करने का निदेश जिला पदाधिकारी, कटिहार को दिया गया।

अनुपालन : जिला पदाधिकारी, कटिहार/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल, कटिहार।

लघु सिंचाई प्रमण्डल, कटिहार :–

कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, कटिहार द्वारा बताया गया कि कई योजनाए यांत्रिक दोष एवं संयुक्त दोष के कारण बन्द है। आयुक्त महोदय द्वारा खेद व्यक्त करते हुए यांत्रिक दोष एवं संयुक्त दोष के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को चिन्हित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु उप विकास आयुक्त, कटिहार को निदेशित किया गया।

अनुपालन : कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कटिहार।

विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, कटिहार :–

कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, कटिहार द्वारा कृषि कार्य के लिए जिले में अलग से फीडर की स्थापना की गयी है, जिससे निर्बाध रूप से कृषि क्षेत्र को सिंचाई के लिए विद्युत की आपूर्ति की जा सके। कुछ तकनीकी समस्याओं को छोड़कर जिले में बिजली की उपलब्धता संतोषप्रद है।

अनुपालन : कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, कटिहार।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, कटिहार :–

बैठक में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, कटिहार अनुपस्थित पाये गये, पृच्छा किये जाने पर सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, कटिहार द्वारा उक्त के संबंध में किसी प्रकार का संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया। उक्त स्थिति में उप विकास आयुक्त, कटिहार

को निदेशित किया गया कि कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, कटिहार से कारण पृच्छा करते हुए सभी योजनाओं में आवश्यक सुधार करवाना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन : कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया।

ज्ञापांक 4487 / दिनांक 28/11/22

प्रतिलिपि :– जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कटिहार/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, कटिहार /जिला योजना पदाधिकारी, कटिहार/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), कटिहार /जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, कटिहार/कार्यपालक अभियंता, सभी कार्य विभाग, कटिहार जिला/कार्यपालक अभियंता (मनरेगा), कटिहार/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटिहार /सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), कटिहार /सभी सहायक अभियंता (मनरेगा), कटिहार /सभी कनीय अभियंता (मनरेगा), कटिहार/निदेशक, डी0आर0डी0ए0, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी ~~महोदय~~, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/11/22

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया।

को निदेशित किया गया कि कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, कटिहार से कारण पृच्छा करते हुए सभी योजनाओं में आवश्यक सुधार करवाना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन : कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया।

ज्ञापांक ..../ दिनांक......................

प्रतिलिपि :– जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कटिहार/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, कटिहार /जिला योजना पदाधिकारी, कटिहार/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), कटिहार /जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, कटिहार/कार्यपालक अभियंता, सभी कार्य विभाग, कटिहार जिला/कार्यपालक अभियंता (मनरेगा), कटिहार/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटिहार /सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), कटिहार /सभी सहायक अभियंता (मनरेगा), कटिहार /सभी कनीय अभियंता (मनरेगा), कटिहार/निदेशक, डी0आर0डी0ए0, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी ~~महोदय~~, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया।

ज्ञापांक 4487/ दिनांक 28/11/22

प्रतिलिपि :– विकास आयुक्त, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

28/11/22

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया।